नम्बर व तारिख ज
अहकाम की पालना
जारी हुए

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 12./2020
अनवान :–

1. गंगाजल पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1. रहमत अली पुत्र भादर जाति धोबी मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गेर सायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अभिभाषक, प्रार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल 1

निर्णय दिनांक : 27/4/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायल की खातेदारी भूमि रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 18/17 के प0न0 313/399 (12) के किला न0 24/1 की 0.1140हैक प0न0 313/400(23) के किला न0 1/0.2530 ,2/.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,9/2 की 0.1900 ,10/0.2530 कुल 1.5690हैक भूमि है तथा सायल के चिपते हुए गैरसयाल संख्या 1 की खाता संख्या 82/45 के प0न0 313/399(12) के किला न0 2/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला ,2/2 की 0.2280हैक 3/1 की 0.0250हैक गै0मु0खाला , 3/2 की 0.2280हैक, 8/0.2530 ,9/0.2530 ,25/1 की 0.2150 ,25/3/0.0250 हैक गै0मु0खाला ,प0न0 313/400(23) के किला न0 5/1 की 0.0250हैक गै0मु0रास्ता, 5/2 की 0.2280हैक , प0न0 314/399(13) के किला न0 17/0.2530 ,18/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 ,प0न0 317/400(22) किला न0 1/1 की 0.2150 ,1/3 की 0.0250हैक गै0मु0खाला, 2/1 की 0.2160हैक 2/3 की 0.0250हैक गै0मु खाला , 3/1 की 0.2090हैक 3/3 की 0.0250हक गै0मु0खाला कुल 4.2440हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल अपने खेत में आवागमन के लिये प0न0 313/400(23) में जो मन्जुरशद्वा रास्ता है से होते हुए गैरसायल संख्या 1 के खेत में प्रवेश करके अपने खेत में प्रवेश करता है सायल के खेत में जाने के लिऐ गैरसायल संख्या 1 के प0न0 313/400 (23) के किला न0 5 के उतरी दिशा में 1 बिश्वा पूर्व से पश्चिम चलकर अपने खेत में प्रवेश कर जाता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है

सायल उक्त रास्ता का सदामत से उपयोग करता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायल संख्या 1 हमेशा रास्ता को बन्द करने की घमकीया देता है यदि ऐसा हो जाता है तो सायल को अपनी भूमि में जाने का रास्ता बन्द हो जावेगा जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी सायल की फसल बर्बाद हो जावेगी।

सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल के खेत के प0न0 313/400(23) के किला न0 5 की उतरी दिशा में 1 बिश्वा भूमि पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत फरमावे सायल रास्ता की भूमि के बदले में अपनी खातेदारी भूमि के प0न0 313/400(23) के किला न0 4 में से पूर्वी दिशा में 1 बिश्वा भूमि उतर से दक्षिणी गैरसायल के चिपते हुए देने को तैयार है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 82/75 के प0न0313/400(23) के किला न0 5 में से उतरी दिशा में 1 बिश्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थी के चिपते हुए सायल के भाई/भतीजो के खेत भी पडते है सायल उनके खेत में से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है तथा उतरादाता के खेत में से सायल आवागमन हेतु कभी भी कोई रास्ता नही है तथा सायल अपने खेत में आवागमन करने हेतु अपने भाई भतीजो के खेत में से आता है।

सायल का उतरादाता के खेत में से कभी भी आवागमन नही रहा है सायल अपने भाई/भतीजो के खेत में आवागमन करता है सायल ने गैरसायल को परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल का जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल की खातेदारी भूमि रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 18/17 के प0न0 313/399 (12) के किला न0 24/1 की 0.1140हैक्ट प0न0 313/400(23) के किला न0 1/0.2530 ,2/.2530 ,3/0.2530 ,4/0.2530 ,9/2 की 0. 1900 ,10/0.2530 कुल 1.5690हैक्ट भूमि है तथा सायल के चिपते हुए गैरसयाल संख्या 1 की खाता संख्या 82/45 के प0न0 313/399(12) के किला न0 2/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला ,2/2 की 0.2280हैक्ट 3/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला , 3/2 की 0.2280हैक्ट, 8/0.2530 ,9/0.2530 ,25/1 की 0.2150 ,25/3/0.0250 हैक्ट गै0मु0खाला ,प0न0 313/400(23) के किला न0 5/1 की 0.0250हैक्ट गै0मु0रास्ता, 5/2 की 0.2280हैक्ट , प0न0 314/399(13) के किला न0 17/0.2530 ,18/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 ,प0न0 317/400(22) किला न0 1/1 की 0.2150 ,1/3 की 0.0250हैक्ट गै0मु0खाला, 2/1 की 0.2160हैक्ट 2/3 की 0.0250हैक्ट गै0मु खाला , 3/1 की 0.2090हैक्ट 3/3 की 0.0250हक्ट गै0मु0खाला कुल 4.2440हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल अपने खेत में आवागमन के लिये प0न0 313/400(23) में जो मन्जुरशद्वा रास्ता है से होते हुए गैरसायल संख्या 1 के खेत में प्रवेश करके अपने खेत में प्रवेश करता है सायल के खेत में जाने के लिऐ गैरसायल संख्या 1 के प0न0 313/400 (23) के किला न0 5 के उतरी दिशा में 1 बिश्वा पूर्व से पश्चिम चलकर अपने खेत में प्रवेश कर जाता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है

सायल उक्त रास्ता का सदामत से उपयोग करता आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायल संख्या 1 हमेशा रास्ता को बन्द करने की घमकीया देता है यदि ऐसा हो जाता है तो सायल को अपनी भूमि में जाने का रास्ता बन्द हो जावेगा जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी सायल की फसल बर्बाद हो जावेगी।

सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायल के खेत के प0न0 313/400(23) के किला न0 5 की उतरी दिशा में 1 बिश्वा भूमि पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत फरमावे सायल रास्ता की भूमि के बदले में अपनी खातेदारी भूमि के प0न0 313/400(23) के किला न0 4 में से पूर्वी दिशा में 1 बिश्वा भूमि उतर से दक्षिणी गैरसायल के चिपते हुए देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 1386 दिनांक 04/05/22

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 12 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :–

अनवान :–

1. गंगाजल पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर

सायलान

बनाम्

1 रहमत अली पुत्र भादर जाति धोबी मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गेर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 24 जेएसएन के प0न0 313 / 400(23) के किला न0 5 की उतरी दिशा में 1 बिश्वा भूमि पूर्व से पश्चिम में एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 313 / 400(23) के किला न0 4 में से पूर्वी दिशा में उतर दक्षिण में 1 बिश्वा भूमि गैरसायल की भूमि के चिपते हुए गैरसायल को देगा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थी के चिपते हुए सायल के भाई/भतीजो के खेत भी पडते है सायल उनके खेत में से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है तथा उतरादाता के खेत में से सायल आवागमन हेतु कभी भी कोई रास्ता नही है तथा सायल अपने खेत में आवागमन करने हेतु अपने भाई भतीजो के खेत में से आता है।

सायल का उतरादाता के खेत में से कभी भी आवागमन नही रहा है सायल अपने भाई/भतीजो के खेत में आवागमन करता है सायल ने गैरसायल को परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायल एवं गैरसायल दोनो ही खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज तथा एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है।

सायल का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में गैरसायल की भूमि के प0न0 313/400(23) के किला न0 5 की उतरी दिशा में 1 बिश्वा भूमि पूर्व से पश्चिम से होता हुआ अपनी भूमि में प्रवेश करता है।

गैरसायल का कथन है कि सायल अपने भाई/भतीजो की भूमि में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता है गैरसायल ने अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई भी मौखित/दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे गैरसायल का कथन साबित होता हो प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार सायल के चिपते हुए गैरसायल की भूमि है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार गैसायल की भूमि के किला न0 5 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस स्वीकृत रास्ता से सायल की भूमि एक किला की दुरी पर है जिसमें रास्ता स्वीकृत करने पर सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर जाता है यही रास्ता सायल के द्वारा चाहा जा रहा है।

प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता नजदीकी एवं सुविधाजनक है इस रास्ता के आलाव अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये चाहा गया रास्ता न्यायोचित है इसके अलावा सायल की भूमि में पहुचने के अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा रास्ता की भूमि के बदले में सायल गैरसायल को भूमि देने को भी तैयार है जिससे गैरसायल की भूमि भी पूरी होती है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 24 जेएसएन के प0न0 313/400(23) के किला न0 5 की उतरी दिशा में 1 बिश्वा भूमि पूर्व से पश्चिम में एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायल रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में रोही मौजा चक 24 जेएसएन के प0न0 313/400(23) के किला न0 4 मे से पूर्वी दिशा में उतर दक्षिण में 1 बिश्वा भूमि गैरसायल की भूमि के चिपते हुए गैरसायल को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/4/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)